

भाग - III

संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) ? यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग 'ख' दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) मण्डला द्वारा टिकरिया-सिंगौधा-पाठा-चुटका मार्ग के चौड़ीकरण हेतु पश्चिम सा0 वनमण्डल, मण्डला के कालपी परिक्षेत्र के कक्ष क्र0 आर0एफ0 186, 522, 195, 198, 525, 201, ओ0-503 एवं 548 कुल रकवा 8.20 हे0 क्षेत्र में वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम सामान्य वन मण्डल, मण्डला द्वारा अनुशंसा की गयी है। अतः आवेदक विभाग को 8.20 हे0 वनक्षेत्र व्यपवर्तित करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 09/08/2023

स्थान :- जबलपुर


 (कमल अरोरा, भा0व0से0)
 वन संरक्षक
 मध्यवृत्त जबलपुर

09/08/23